भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

वाहन अनुबन्ध पत्र

DU 125600

दिनांक 13.04.2018

अनुबन्ध संख्या......73......

प्रथम पक्ष–वाहन स्वामी/स्वामिनी/प्रतिनिधि सेवा प्रदाता एजेन्सी

(1) नाम : मे0 शिवहरी ट्रैवेल्स एजेन्सी,

(2) पता : काली चौरा, रैदोपुर, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश, 276001

(3) मोबाईल संख्या : 941537718

द्वितीय पक्ष–मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, संत कबीर नगर

वाहन/वाहनो का विवरण

क्रम संख्या		वाहन संख्या	पंजीकरण वर्ष	स्थान	कार्यक्रम
1		UP 58 P 5377	2017	Baghauli	RBSK
2		UP 58 T 5430	2015	Baghauli	RBSK
3		UP 51 AK 1500	2017	Belhar	RBSK
4		UP 58 T 5724	2016	Belhar	RBSK
5		UP 58 T 5574	2015	Haisar	RBSK
6		UP 58 N 0405	2016	Haisar	RBSK
7		UP 58 T 6455	2016	Khalilabad	RBSK
8		UP 50 A[illegible] 3551	2014	Khalilabad	RBSK
9		UP 58 T 7062	2018	Mehdawal	RBSK
10		UP 58 T 7061	2018	Mehdawal	RBSK
11		UP 50 AT 9446	2014	Nathnagar	RBSK
12		UP 53 C[illegible] 0103	2016	Nathnagar	RBSK
13		UP 58 T [illegible]839	2016	Pauli	RBSK
14		UP 58 T [illegible]317	2017	Pauli	RBSK
15		UP 58 T [illegible]060	2018	Santha	RBSK
16		UP 58 J [illegible]791	2014	Santha	RBSK
17		UP 51 AT 0419	2015	Semriyawan	RBSK
18		UP 16 AZ 1208	2015	Semriyawan	RBSK
19		UP 58 T 5063	2014	Baghauli	Supervision
20		UP 53 BL 1771	2014	Belhar	Supervision
21		UP 58 T 6275	2017	CMO Office	Supervision
22		UP 58 K [illegible]622	2014	DPMU	Supervision

For Shiv Hari Travels Agency

प्रकाश कुमार श्रीवास्तव

Partner

23	UP 51AJ 1758	2017	Haisar	Supervision
24	UP 50 BT 5301	2017	Khalilabad	Supervision
25	UP 58 T 5865	2017	Mehdawal	Supervision
26	UP 50 AP 3303	2015	Nathnagar	Supervision
27	UP 58 T 5295	2015	Pauli	Supervision
28	UP 58 K 9289	2015	Santha	Supervision
29	UP 51 AT 0334	2015	Semriyawan	Supervision

हम उभय पक्ष एतद द्वारा परस्पर वचन देते, विश्वास दिलाते और प्रतिज्ञा करते है कि वह और उनके वारिसन नीचे लिखे प्रतिबन्धो एवं शर्तो का पूर्णतः पालन करेंगे और पालन करने के लिये वैधानिक रूप से बाध्य रहेंगें :–

01 आर0बी0एस0के0 एवं मानिटरिंग सुपरविजन के वाहनो हेतु यह अनुबन्ध की तिथि से दो वर्ष तक के लिये मान्य होगा।

02 प्रथम पक्ष द्वारा अपने उक्त वाहन, वाहनो को द्वितीय पक्ष के अधीन निर्धारित मासिक किराये पर उपरोक्त अवधि तक संचालित किया जायगा।

03 यह कि उपरोक्त वाहन, वाहनो के संचालन में ईधन, चालक, मरम्मत तथा टोल टैक्स आदि का वहन प्रथम पक्ष द्वारा किया जायेगा। मासिक किराये (रू0 29890.00) रू0 उन्तीस हजार आठ सौ नब्बे के अतिरिक्त द्वितीय पक्ष द्वारा किसी भी प्रकार की अन्य धनराशि देय नही होगी।

04 वाहनों से कम से कम 25 दिन कार्य दिवस में कार्य लिया जायेगा यदि किसी कारण से टीम भ्रमण पर नही जाती है तो वाहन का उपयोग अन्य निर्दिष्ट कार्यो में लिया जायेगा।

05 वाहन चालक के पास वैध ट्रांसपोट ड्राईविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है।

06 अनुबन्धित वाहन की उपलब्धता सम्बन्धित चिकित्सा इकाई पर प्रतिदिन कम से कम 8 घंटे सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।

07 यह कि द्वितीय प्रक्ष द्वारा आर0बी0एस0के0 अन्तर्गत वाहन को माह में कम से कम (1,000.00) एक हजार किमी चलना होगा तथा संदर्भित बच्चो को जिला चिकित्सालय/मेडिकल कालेज तक लेकर जाना होगा यदि वाहन 1000 किमी से कम चलती है तो अनुपातक भुगतान किया जायेगा।

08 आर0बी0एस0के0 एवं मानिटरिंग सुपर विजय हेतु वाहनो का गैराज से कार्यस्थल तक आने–जाने में अधिकत 20 किमी की दूरी का अंकन मीटर रिडिंग में अमान्य होगा (निर्धारित 1000 किमी में सम्मिलित होगा)

09 यह की वाहन/वाहनो को क्रियाशील रखने तथा साफ–सफाई की व्यवस्था एवं रख–रखाव की पूर्ण जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की होगी।

10 उपरोक्त सभी वाहनो में जी0पी0आर0एस0 अनिवार्य रूप युक्त होगें। जी.पी0आर.एस. का डेटा बिल के साथ प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को भुगतान के समय प्रस्तुत करना होगा ।

11 यह की वाहन को गैराज आदि मे भेजने पर प्रथम पक्ष द्वारा वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराया जायेगा। वैकल्पिक वाहन भी व्यवसायिक यात्रि यान होगा जिसका वातानुकूलनरहित संचालन अनुबन्धित वाहन के अनुसार ही किया जायेगा।

12 यह कि यदि अनुबन्धित वाहन 10 कार्यदिवसों से अधिक दिन तक के अनुपलब्ध रहता है तो वैकल्पिक वाहन के संचालन हेतु प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष से लिखित अनुमति प्राप्त करेगा।

13 यह कि वाहन उपलब्ध न कराये जाने पर द्वितीय पक्ष द्वारा उस दिन/दिनों का किराया देय नही होगा तथा प्रथम पक्ष पर द्वितीय पक्ष द्वारा प्रति कार्यदिवस (रू0 300.00) रू0 तीन सौ मात्र का अतिरिक्त अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा।

14 यह कि प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को उपरोक्त वाहन/वाहनो से सम्बन्धित अधुनान्त अभिलेख यथा बीमा, फिटनेस व कर भुगतान की रसीद आदि समय–समय पर उपलब्ध कराया जायेगा।

15 यह कि किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में मध्यस्थ जिला अधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति संत कबीर नगर होगें।

16 यह कि यदि विवाद की स्थिति में के निर्णय से कोई पक्ष सहमत नही है तो जनपद संत कबीर नगर न्यायानय में इसका क्षेत्राधिकार होगा।

लिहाजा यह किराया अनुबन्ध पत्र आज दिनांक ....को सक्षम गवाहान लिखवा दिया तथा पढ़कर–समझकर अपने–अपने हस्ताक्षर बनाये ताकि सनद रहे और वक्त पर काम आयें।

स्थान–संत कबीर नगर

For Shiv Hari Travels Agency

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष Partner

मेसर्स शिवहरी ट्रेवल्य एजेन्सी

गवाह

01. नाम/पूरा पता/हस्ताक्षर

02. नाम/पूरा पता/हस्ताक्षर

हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष

मुख्य चिकित्सा अधिकारी/

जिला स्वास्थ्य समिति

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, संत कबीर नगर

पत्रांक–वाहन / आर0बी0एस0के0 / मानिटरिंग /   दिनांक 13 अप्रैल, 2018

आदेश,

आर0बी0एस0के0 एवं मानिटरिंग सुपरविजन हेतु वाहनो को किराये पर लिये जाने हेतु ई–टेण्डरिंग के माध्यम से मेसर्स शिवहरि ट्रेवल्स, एजेन्सी, आजमगढ़ का चयन किया गया है। उक्त एजेन्सी की निम्न वाहनो का चयन, टेण्डर समिति द्वारा द्वारा किया गया है। जिन्हे दिनांक 16.04.2018 से निम्नलिखित विवरण के अनुरूप, कार्यक्रमवार एवं इकाइवार चलाये जाने हेतु आदेशित किया जाता है। उक्त तिथि के उपरान्त आर0बी0एस0के0 एवं मानिटरिंग सुपरविजन में पूर्व से चल रहे वाहनो के अनुबन्ध को निरस्त माना जाये।

क्रम संख्या	वाहन संख्या	पंजीकरण वर्ष	स्थान	कार्यक्रम
1	UP 58 P 5377	2017	Baghauli	RBSK
2	UP 58 T 5430	2015	Baghauli	RBSK
3	UP 51 AK 1500	2017	Belhar	RBSK
4	UP 58 T 5724	2016	Belhar	RBSK
5	UP 58 T 5574	2015	Haisar	RBSK
6	UP 58 N 0405	2016	Haisar	RBSK
7	UP 58 T 6455	2016	Khalilabad	RBSK
8	UP 50 AF 3551	2014	Khalilabad	RBSK
9	UP 58 T 7062	2018	Mehdawal	RBSK
10	UP 58 T 7061	2018	Mehdawal	RBSK
11	UP 50 AT 9446	2014	Nathnagar	RBSK
12	UP 51 CB 0103	2016	Nathnagar	RBSK
13	UP 58 T 5839	2016	Pauli	RBSK
14	UP 58 T 6317	2017	Pauli	RBSK
15	UP 58 T 7060	2018	Santha	RBSK
16	UP 58 J 3791	2014	Santha	RBSK
17	UP 51 AT 0419	2015	Semriyawan	RBSK
18	UP 16 AZ 1208	2015	Semriyawan	RBSK
19	UP 58 T 5063	2014	Baghauli	Supervision
20	UP 53 BL 1771	2014	Belhar	Supervision
21	UP 58 T 6275	2017	CMO Office	Supervision
22	UP 58 K 7622	2014	DPMU	Supervision
23	UP 51 AJ 1758	2017	Haisar	Supervision
24	UP 50 BT 5301	2017	Khalilabad	Supervision
25	UP 58 T 5865	2017	Mehdawal	Supervision
26	UP 50 AP 3303	2015	Nathnagar	Supervision
27	UP 58 T 5295	2015	Pauli	Supervision
28	UP 58 K 9289	2015	Santha	Supervision
29	UP 51 AT 0334	2015	Semriyawan	Supervision

अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (आर0सी0एच0)
संत कबीर नगर

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
संत कबीर नगर

पत्रांक–वाहन / आर0बी0एस0के0 / मानिटरिंग / 373   तद् दिनांक

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01 मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 लखनऊ।
02 जिलाधिकारी, संत कबीर नगर।
03 अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आर0सी0एच0, संत कबीर नगर को उपरोक्त के क्रम में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
04 जिला कार्यक्रम प्रबंधक, समस्त अधीक्षक / प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त विवरण के अनुसार एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले वाहनो को अपने सामु0 / प्रा0स्वा0केन्द्र / ईकाई पर दिनांक 16.04.2018 से नियमानुसार संचालित कराना सुनिश्चित करें।
05 मेसर्स शिवहरि ट्रेवल्स एजेन्सी, आजमगढ़ को इस निर्देश के साथ की उपरोक्तानुसार वाहनो को दिनांक 16.04.2018 उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे तथा वाहन एवं वाहन चालक का विवरण सम्बन्धित ईकाई के अधीक्षक / प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे ।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
संत कबीर नगर

प्रेषक,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
संत कबीर नगर ।

सेवा में,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
उ0प्र0 लखनऊ ।

पत्रांक- वाहन/2018-19 / 4228 दिनांक 25/7/2018

विषय :- आर0बी0एस0के0 एवं मानीटरिंग ई-वैल्यूवेशन वाहन की सूचना के सम्बन्ध में :-

महोदय,

जनपद स्तर पर आर0बी0एस0के0 एवं मानीटरिंग ई-वैल्यूवेशन हेतु अनुमोदित एजेंसी मेसर्स- शिवहरि ट्रैवेल्स रैनीपुर कालीचौरा आजमगढ़ के पत्र दिनांक 16.05.2018 के क्रम में निम्न सूची के अनुसार वाहन का स्थान परिवर्तत या वाहन परिवर्तन किया गया है ।

क्र0 सं0	वाहन सं0	विवरण
1	यू0पी0 58 टी0 5295	प्रा0स्वा0 केन्द्र पौली के स्थान पर सामु0 स्वा0 केन्द्र नाथनगर
2	यू0पी0 51 टी0 6203	प्रा0स्वा0 केन्द्र पौली में लगायी गयी है (नया वाहन)
3	यू0पी0 50 ए0एच0 4718	सामु0 स्वा0 केन्द्र खलीलाबाद में यू0पी0 50 बी0टी 5301 के स्थान पर लगायी गयी है ।
4	यू0पी0 58 आर 2999	मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में यू0पी0 58 टी0 6275 के स्थान पर लगायी गयी है ।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
संतकबीरनगर

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, संतकबीरनगर।

पत्रांक वाहन/आदेश/2018-19 | 12629-30 दिनांक 06/7/ 2019

मेसर्स-

शिवहरि ट्रैवेल्स

रैदोपुर कालीचौरा आजमगढ़

आपके द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 04.01.2019 को प्रेषित पत्र जिसमें आप द्वारा निम्न विवरण के अनुसार वाहन चलवाये जाने हेतु अनुरोध किया गया है जो निम्नवत् हैं

क्र0 सं0			पूर्व में संचालित वाहन	वर्तमान में
1	प्रा0 स्वा0 केन्द्र बेलहरकला	आर0बी0एस0के0	यू0पी0 58 टी 5724	यू0पी0 51 ए0टी0 7226

उपरोक्त वाहन को इस आशय से संचालन किये जाने हेतु आदेश किया जाता है कि जब तक सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो जाती है तब तक उक्त वाहनों का भुगतान किया जाना सम्भव नहीं होगा ।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी

संतकबीरनगर

पत्रांक वाहन/आदेश /2018-19 तद् दिनांक ।

प्रतिलिपि :-निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वाहन प्रभारी कार्यालय अधोहस्ताक्षरी ।
2. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक एन0एच0एम0 संतकबीरनगर ।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी

संतकबीरनगर

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, संतकबीरनगर।

पत्रांक वाहन/आदेश/2018-19 14347 दिनांक 27/3/2019

मेसर्स-

शिवहरि ट्रैवेल्स
रैदोपुर कालीचौरा आजमगढ़

आपके द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 11.02.2019 को प्रेषित पत्र जिसमें आप द्वारा सामु0 स्वा0 केन्द्र हैंसर बाजार में पूर्व में संचालित वाहन के स्थान पर दिनांक 11.02.2019 से निम्न वाहन चलाये जा रहे हैं जो निम्नवत् हैं.

क्र0 सं0	यूनिट का नाम	कार्यक्रम का नाम	पूर्व में संचालित वाहन	वर्तमान में
3	सामु0 स्वा0 केन्द्र हैंसर	आर0बी0एस0के0	यू0पी0 58 एन0 0405	यू0पी0 65 सी0टी0 8852

उपरोक्त वाहन को इस आशय से कि जब तक सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो जाती है तब तक उक्त वाहनों का भुगतान किया जाना सम्भव नहीं होगा ।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
संतकबीरनगर

पत्रांक वाहन/आदेश /2018-19 तद् दिनांक ।

प्रतिलिपि :-निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वाहन प्रभारी कार्यालय अधोहस्ताक्षरी ।
2. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक एन0एच0एम0 संतकबीरनगर ।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
संतकबीरनगर

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, संतकबीरनगर।

पत्रांक वाहन/आदेश/2019-20 / 3025 दिनांक 01/7/ 2019

मेसर्स-
शिवहरि ट्रैवेल्स
रैदोपुर कालीचौरा आजमगढ़

आपके द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 14.06.2019 को प्रेषित पत्र जिसमें आप द्वारा कुछ वाहन स्वामी द्वारा वाहन न चलाये जाने तथा की दशा में कुछ वाहन का परिवर्तन किये जाने हेतु प्रार्थना-पत्र प्रेषित किया गया है जो निम्नवत् हे

क्र0 सं0	सामु0 स्वा0 केन्द्र का नाम	पूर्व में संचालित वाहन	वर्तमान में संचालित वाहन	संचालन की तिथि
1	पौली	यू0पी0 50ए एफ 7127	यू0पी0 62 ए क्यू 0125	01.04.2019
2	नाथनगर	यू0पी0 53 सी बी 0103	यू0पी0 58 टी 8246	20.05.2019
3	नाथनगर	यू0पी0 50 ए टी 9446	यू0पी0 58 एन 0405	06.04.2019

उपरोक्त वाहन को इस आशय से संचालन किये जाने हेतु आदेश किया जाता है कि जब तक सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो जाती है तब तक उक्त वाहनों का भुगतान किया जाना सम्भव नहीं होगा ।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
संतकबीरनगर

पत्रांक वाहन/आदेश /2019-20 तद् दिनांक ।

प्रतिलिपि :-निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वाहन प्रभारी कार्यालय अधोहस्ताक्षरी ।
2. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक एन0एच0एम0 संतकबीरनगर ।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
संतकबीरनगर

कार्यालय–मुख्य चिकित्साधिकारी, संत कबीर नगर।

पत्रांक–वाहन / संशोधन / 2018–19 / दिनांक 05 जून, 2018

मेसर्स शिवहरि ट्रेवल्स
रैदोपुर, कालीचौरा
आजमगढ़

विषय–वाहन परिवर्तन के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपके द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 16.05.2018 जो कार्यालय को प्राप्त कराया गया है के क्रम में क्रम संख्या 01 पर अंकित वाहन यू0पी0 58 टी0 5295 जो प्रा0स्वा0केन्द्र पौली में संचालित थी को सामु0स्वा0केन्द्र नाथ नगर में तथा वाहन संख्या–यू0पी0 51 वाई 6203 को प्रा0स्वा0केन्द्र पौली में संचालित किये जाने हेतु अनुमति दी जाती है।

अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, (आर0सी0एच0)
संत कबीर नगर

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
संत कबीर नगर

पत्रांक–वाहन / संशोधन / 2018–19 / 2215 तद् दिनांक

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. जिला कार्यक्रम प्रबंधक, एन0एच0एम0, संत कबीर नगर।
02. अधीक्षक / प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, नाथनगर / पौली, संत कबीर नगर।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
संत कबीर नगर

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, संतकबीरनगर।

पत्रांक वाहन/आदेश/2018-19 8781-83 दिनांक 30/11/ 2018

मेसर्स-

शिवहरि ट्रैवेल्स

रैदोपुर कालीचौरा आजमगढ़

आपके द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 01.11.2018 को प्रेषित पत्र जिसमें आप द्वारा प्रा0 स्वा0 केन्द्र पौली एवं हैंसर बाजार में पूर्व में संचालित वाहन के स्थान पर दिनांक 15.09.2018 से निम्न वाहन चलाये जा रहे हैं जो निम्नवत् हैं

क्र0 सं0			पूर्व में संचालित वाहन	वर्तमान में
1	प्रा0 स्वा0 केन्द्र पौली	आर0बी0एस0के0	यू0पी0 58 टी 6317	यू0पी0 50 ए0एफ0 7127
2		मानीटरिंग	यू0पी0 58 टी0 5295	यू0पी0 50 ए0टी0 7313
3	सामु0 स्वा0 केन्द्र हैंसर	आर0बी0एस0के0	यू0पी0 58 टी 5574	यू0पी0 50 ए0टी0 8485

उपरोक्त वाहन को इस आशय से संचालन किये जाने हेतु आदेश किया जाता है कि जब तक सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो जाती है तब तक उक्त वाहनों का भुगतान किया जाना सम्भव नहीं होगा ।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
संतकबीरनगर

पत्रांक वाहन/आदेश /2018-19 तद् दिनांक ।

प्रतिलिपि :-निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वाहन प्रभारी कार्यालय अधोहस्ताक्षरी ।
2. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक एन0एच0एम0 संतकबीरनगर ।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
संतकबीरनगर

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, संतकबीरनगर।

पत्रांक वाहन/सूचना /2018-19 6568-69 दिनांक 29/9/ 2018

मेसर्स-

शिवहरि ट्रैवेल्स
रैदोपुर कालीचौरा आजमगढ़

आपके द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 26.09.2018 को प्रेषित पत्र जिसमें आप द्वारा जनपद स्तर पर संचालित वाहन यूपी0 58 के 7622 के स्थान पर यू0पी0 58 टी0 5340 दिंनाक 28 सितम्बर, 2018 को भी संचालन हेतु उपलब्ध करा दिया गया है दोनों वाहन को सम्भागीय परिवहन अधिकारी संतकबीरनगर से सत्यापन कराने के बाद ही भुगतान सम्बन्धी कार्यवाही की जायेगी ।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
संतकबीरनगर

पत्रांक वाहन/सूचना /2018-19 तद् दिनांक ।

प्रतिलिपि :-निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी आर0सी0एच0 संतकबीरनगर ।
2. वाहन प्रभारी कार्यालय अधोहस्ताक्षरी ।
3. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक एन0एच0एम0 संतकबीरनगर ।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
संतकबीरनगर

गाड़ी 10.7.18 को ही बिक गई है तो पैसा कैसे भुगतान हुआ?

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, संतकबीरनगर।

पत्रांक वाहन/सूचना /2018-19 5743-(A) दिनांक 01/9/ 2018

मेसर्स-

शिवहरि ट्रैवेल्स

रैदोपुर कालीचौरा आजमगढ़

आपके द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 30.08.2018 को प्रेषित पत्र जिसमें आप द्वारा आर0आई0 कार्यक्रम में यू0पी0 50 ए0टी0 7127 चल रही थी खराब होने के कारण उसके स्थान पर यू0पी0 58 टी0 7024 दिनांक 01 सितम्बर, 2018 उपलब्ध करा दिया गया है वाहन को सम्भागीय परिवहन अधिकारी संतकबीरनगर से सत्यापन कराने के बाद ही भुगतान सम्बन्धी कार्यवाही क़ी जायेगी ।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी

संतकबीरनगर

पत्रांक वाहन/सूचना /2018-19 5743 (A) तद् दिनांक ।

प्रतिलिपि :-निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिला प्रतिरक्षण अधिकारी संतकबीरनगर ।
2. वाहन प्रभारी कार्यालय अधोहस्ताक्षरी ।
3. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक एन0एच0एम0 संतकबीरनगर ।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी

संतकबीरनगर

प्रेषक,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
संत कबीर नगर ।

सेवा में,

महाप्रबन्धक,
एम0आई0एस0
राष्टीय स्वास्थ्य मिशन
उ0प्र0 लखनऊ ।

पत्रांक-वाहन/सूचना2019-20 3687-88 दिनांक 16/7/2019

विषय :- जनपद में आर0बी0एस0के0 एवं मानीटरिंग एण्ड ई-वेल्युवेशन के अन्तर्गत संचालित वाहन की सूचना के सम्बन्ध में :-

महोदय,

उपर्युक्त विषयक दिनांक 13.04.2018 को ई-टेण्डरिंग के माध्यम से निविदित फर्म का अनुबन्ध 02 वर्ष के लिये किया गया था अनुबन्ध किये गये वाहन एवं परिवर्तित किये गये वाहनों का वाहन सं0 के साथ सूचची संलब्ग्न कर सूचना आपकी सेवा में सूचनार्थ प्रेषित है ।
संलग्नक - सूची 11 प्रति में

भवदीय

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
संतकबीरनगर

पत्रांक-वाहन/सूचना2019-20 तद्दिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0 लखनऊ ।
2. महाप्रबन्धक, आर0बी0एस0के0 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0 लखनऊ ।
3. निदेशक मानीटरिंग राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0 लखनऊ ।
4. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, डी0पी0एम0यू0 एन0एच0एम0 संतकबीरनगर ।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
संतकबीरनगर